क्रमांक 1524–2जी0 एस0–I–71/7240

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, राज्य के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 5 अप्रैल, 1971 ।

विषय :—लोक सेवा आयोग तथा अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल द्वारा सीधी भर्ती पर कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारित करना ।

श्रीमान जी,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 1028-जी–11–57/27804, दिनांक 29-3-57 946–4 जी : एस:–62/8282, दिनांक 16-3-1962 तथा 16355–3 जी0एस0–62/42251, दिनांक 24-11-1962 की ओर दिलाऊं जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकार की सेवा में जो भी कर्मचारी लोक सेवा आयोग या अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल द्वारा भर्ती किए जायेंगे उनकी ज्येष्ठता विभागों में उसी क्रम में निर्धारित की जायेगी जिस प्रकार लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल ने योग्यता सूची भेजी है । सरकार ने 1965 में माडल सर्विस रूल्ज भी बनाये थे जिनकी प्रतियां प्रत्येक विभाग को भेजी गई थी । इन माडल सर्विस रूल्ज के नियम 6 के प्रोविसों 2 में भी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल द्वारा की गई है उनकी ज्येष्ठता उसी प्रकार निर्धारित करनी है जिस प्रकार आयोग/प्रवरण मण्डल ने उनकी योग्यता सूची भेजी है ।

2. अब सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि कुछ विभागों के सेवा नियमों अनुसार ऐसे कर्मचारियों जिन की नियुक्ति लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएँ प्रवरण मण्डल द्वारा सीधी भर्ती से की गई है, की ज्येष्ठता उनकी आयु या उन के विभाग में कार्यग्रहण की तारीख इत्यादि से निर्धारित की जाती है । नियमों में यह व्यवस्था सरकार की उपर्युक्त हिदायतों तथा माडल सर्विस रूल्ज की व्यवस्था के खिलाफ है । आपसे यह अनुरोध है कि आप विभाग के प्रत्येक वर्ग के पदों के सेवा नियमों की जांच करें और यदि उनके आयु का कार्य ग्रहण की तारीख से ज्येष्ठता निर्धारित करने की व्यवस्था है तो उनको माडल सेवा नियमों के नियम 6 के दूसरे प्रोविसों के अनुसार तुरन्त संशोधन करें । यह कार्यवाही इस पत्र के जारी होने के 2 मास के समय के अन्दर अवश्य हो जानी चाहिये और इसकी सुचना मुख्य सचिव को शीघ्र भेजी जाये । यदि किसी विभाग ने अपने सर्विस रूल्ज को इस प्रकार संशोधन करने की कार्यवाही न की तो सरकार इसका गम्भीरता से विचार करेगी ।

भवदीय,

हस्ता/–

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएँ ।

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये वित्तायुक्त राजस्व, वित्तायुक्त तथा सभी प्रसासकीय सचिव हरियाणा सरकार को इसकी एक प्रति प्रधान सचिव/सचिव/निजी सचिव/मुख्य मन्त्री/मंत्री/संसदीय सचिव को मुख्य मन्त्री/मंत्री संसदीय सचिव की सूचना के लिये भेजी जाती है ।